



साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स
SAHA INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS
सेक्टर-1 ब्लॉक-‘एएफ’, बिधाननगर, कोलकाता-700064
SECTOR-I, BLOCK-‘AF’, BIDHANNAGAR, KOLKATA-700064

प्रपत्र-II/FORM-II

भविष्य निधि/PROVIDENT FUND

नामांकन हेतु प्रपत्र जब एक अभिदाता का कोई परिवार नहीं हो
Form of Nomination when Subscriber has No Family

भविष्य निधि नियमावली (साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स) के नियम 8.2 की परिभाषा के अनुसार, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, उन्हें मेरी भविष्य निधि खाते में जमा राशि के देय होने के पहले, मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में अथवा उक्त राशि के देय हो जाने पर भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में, उक्त राशि को प्राप्त करने के लिए मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को नामांकित करता हूँ और मैं यह निदेश भी देता हूँ कि मेरी भविष्य निधि की उक्त राशि को उक्त व्यक्तियों के बीच उनके नाम पर निम्नानुसार भुगतान कर दिया जाए:

I hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my family as defined in Rule 8.2 of the Rules of the Provident Fund (Saha Institute of Nuclear Physics) to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid, and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown below against their names:

1. नामितियों के नाम तथा पता :
Name and address of nominees
2. अभिदाता के साथ संबंध :
Relationship with subscriber
3. उम्र / Age :
4. जमा राशि में से प्रत्येक को दी जाने वाली राशि अथवा :
प्रत्येक का हिस्सा / Amount or share of
accumulation to be paid to each

अभिदाता के हस्ताक्षर / Signature of the Subscriber

दिनांक/Date: _____

स्थान/Place: _____

नाम/Name: _____

प्रभाग/अनुभाग

Division/Section: _____

दो साक्षियों के हस्ताक्षर / Signature of Two Witnesses:

1. _____

2. _____

नोट: इस कॉलम को ऐसे भरा जाए कि किसी भी समय अभिदाता के खाते में जमा राशि को पूरी तरह से कवर किया जा सके।

Note: This column should be filled in so as to cover the whole that may stand to the credit of the subscriber in the Fund at any time.

नामांकन के संबंध में गवर्निंग बॉडी के स्थायी आदेशों से संबंधित प्रावधान /

Provisions of the Standing Orders of the Governing Body regarding nominations:

उपनियम 8.5 / Clause 8.5

- (क) रजिस्ट्रार को, जितनी जल्दी हो सके, एक अभिदाता से निम्नलिखित दो वैकल्पिक प्रपत्रों में उनका नामांकन मंगवा लेना चाहिए की उनका कोई परिवार है या नहीं।
- (a) The registrar shall, as soon as may be, require every subscriber to make a nomination in either of two alternative forms given below according to the subscriber is with or without a family.
- (ख) जैसे ही एक अभिदाता का परिवार हो जाता है तो उसके द्वारा प्रपत्र २ में दिया गया नामांकन अमान्य हो जाएगा।
- (b) A nomination made in Form-II shall become null and void soon as a subscriber acquires a family.
- (ग) जैसे ही एक अभिदाता का परिवार हो जाता है तो उसके द्वारा प्रपत्र 1 में संशोधित नामांकन दिया जाए तथा पहले दिए गए नामांकन को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया जाए।
- (c) As soon as a subscriber acquires a family, he shall send to the Registrar a revised nomination in Form-I, and formally cancel his previous nomination.
- (घ) एक नामांकन को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है और इसे एक दूसरे नामांकन के माध्यम से बदला जा सकता है जो कि इस नियम के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है।
- (d) A nomination may be cancelled at any time and substituted by another which would be permissible to make under the provision of this rule.